

14.02.17

वादीगण को पुकार लगाये जाने पर सांय 05:00 बजे तक वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 द्वारा अधिवक्ता श्री एच.एस. शुक्ला।

प्रतिवादी क्रमांक 4, 5 व 6 अनिवारित।

प्रकरण में वादीगण अनुपस्थित हैं। अतः आदेश 17 नियम 3,2 सीपीसी के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 8 सीपीसी के अधीन वाद निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ा जाये।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जाये।

सही/—

गोपेश गर्ग

1—सी.जे.—2, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)